संख्या-15/2018/670/46-1-18-1000(56)/2014

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी एवं गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2018

विषयः- शासनादेश संख्या-8/2017/1752सी.डी./46-3-17-1000(56)/2014, दिनांक 10 अगस्त, 2017 के अन्तर्गत परिक्षेत्र फैजाबाद के जनपद फैजाबाद हेतु अवमुक्त धनराशि रू. 45.00 लाख में से रू. 7.50 लाख परिक्षेत्र फैजाबाद के जनपद अम्बेडकर नगर को व्यय करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अपर गन्ना आयुक्त (विकास) कार्यालय, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. के पत्र संख्या-कै/800/विकास अनुभाग/लखनऊ, दिनांक 20-03-2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा मुख्य सचिव, उ.प्र. की अध्यक्षता वाली एस.एल.एस.सी. द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-432/12-3-2017-100(43)/2017, दिनांक 27 अप्रैल, 2017 द्वारा गन्ना विकास विभाग हेतु इनहांसिंग शुगर केन शीड प्रोडेक्शन इन यू.पी. के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0213-गन्ना उत्पादन की योजनायें-27-सब्सिडी के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि रू. 800.00 लाख के अनुक्रम में आपके यथा प्रस्ताव शासनादेश संख्या-8/2017/1752सी.डी./46-3-17-1000(56)/2014, दिनांक 10-8-2017 के संलग्नक-1 में दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट/कार्ययोजना में ड्रिप सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद को आवंटित धनराशि रू. 45.00 लाख को व्यय हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20-03-2018 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में प्रश्नगत योजना में जनपद फैजाबाद को आवंटित धनराशि रू. 45.00 लाख में से रू. 7.50 लाख ड्रिप सिंचाई कार्यक्रम हेतु जनपद अम्बेडकर नगर को आवंटित धनराशि को व्यय करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- शासनादेश संख्या-8/2017/1752सी.डी./46-3-17-1000(56)/2014, दिनांक 10-8-2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जाया तथा उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

नरेश बहादुर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2018/670(1)/46-1-18-1000(56)/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ.प्र. शासन।

2- अपर गन्ना आयुक्त(विकास)/वित्त नियंत्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ.प्र.।

3- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ.प्र.।

4- समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ.प्र.।

5- विशेष सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।

6- समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी (संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)

7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र.(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)

8- नोडल अधिकारी (आर.के.वी.वाई.), उ.प्र. कृषि भवन, लखनऊ।

9- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2

10- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।